ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-7* August- 2021
Innovation The Research Concept

भारतीय आम चुनावों में कालेधन के प्रयोग की चुनौतियाँ एवं समाधान

Challenges and Tackling the Use of Black Money in Indian General Elections

Paper Submission: 13/08/2021, Date of Acceptance: 23/08/2021, Date of Publication: 24/08/2021

सरिता सिंह
सहायक आचार्य
अर्थशास्त्र विभाग
एम.एस.जे. राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान, भारत

अनिल कुमार नागर
सहायक आचार्य
अर्थशास्त्र विभाग
एम.एस.जे. राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत सांस्कृतिक विविधताओं, भौगोलिक विशिष्टिताओं और समृद्ध आर्थिक संभावनाओं से परिपूर्ण गरिमामय अतीत और सुदृढ़ भविष्य की आकांक्षाओं का राष्ट्र है। वर्तमान भारतीय जनसमूह आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक विकास के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 से प्रभावित वैश्विक मंदी के दौर में भारत के समग्र आर्थिक संकेतकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा कुशल मानवीय श्रम के क्षेत्र में अभूतपूर्व बेरोजगारी के स्तरों ने जनांकिकीय लाभांश की स्थिति को प्रश्नवाचक बनाया है, वहीं दूसरी ओर आज भी भारत जातिवाद, नक्सलवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। भारतीय लोक समूह पर शासन के लिए जन प्रतिनिधियों के चयन की लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से उत्कृष्ट व्यक्तियों का चयन भारत के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया में कालेधन के प्रयोग के कारण अनुशासित, नियमपालक एवं सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव जीतना दुष्कर हो गया है। कालाधन श्रेष्ठ जनप्रतिनिधियों के चयन का निर्णायक बाधक बनता जा रहा है। चुनावों में कालेधन के प्रयोग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग व भारत सरकार के सम्मिलित प्रयासों को लागू किया जा रहा है। इन उपायों को निरंतरता प्रदान करते हुए इनका परिणामी प्रभाव स्वस्थ लोकतांत्रिक विकास की दृष्टि से परम आवश्यक है। बेहतर जनप्रतिनिधि के चयन से उत्कृष्ट शासन व्यवस्था की गारंटी मिलती है तथा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था से राष्ट्र का वर्तमान प्रभावशाली एवं भविष्य समृद्धशाली होना सुनिश्चित हो जाता है।

India is a nation of cultural diversities, geographical features and rich economic potential with a dignified past and aspirations for a strong future. The present Indian population is passing through a transitional phase of economic, social and political development. India's overall economic indicators have been negatively affected in the period of global recession affected by Kovid-19 and unprecedented unemployment levels in the field of skilled human labor have questioned the demographic dividend, while on the other hand India is still facing casteism, Naxalism. facing problems like poverty, unemployment. The selection of eminent persons through the democratic electoral system of selecting the representatives of the people to rule over the Indian folk group is very important for the development of India. Due to the use of black money in the election process, it has become difficult to win elections for the disciplined, regular and people of normal economic background. Black money is becoming a decisive obstacle in the selection of the best public representatives. The combined efforts of the Election Commission and the Government of India are being implemented to prevent the use of black money in elections. Continuing these measures, their resultant effect is absolutely essential for healthy democratic development. The selection of better people's representatives guarantees excellent governance and the best governance system ensures that the present and future of the nation is prosperous.

मुख्य शब्दः संविधान , लोकतंत्र , चुनाव , कालाधन

Constitution, Democracy, Elections, Black Money.

प्रस्तावना

भारत के संविधान की उद्देश्यिका में लोकतांत्रिक भारत का उल्लेख है। लोकतांत्रिक शब्द का व्यापक अर्थ है। संकीर्ण राजनीतिक अर्थ में यह सरकार के स्वरुप को इंगित करता है। वास्तव में यह एक प्रतिनिधिक और उत्तरदायी व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जो देश के मामलों का संचालन करते है वे निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन इसके व्यापक भाव में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल हो जाते हैं। संविधान में इसी भाव के अंतर्गत "लोकतंत्र" शब्द का प्रयोग किया गया है।[1]

लोकतंत्र के बुनियादी लक्षण हैं कि प्रभुसत्ता लोगों में निहित हो, धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग या स्त्री-पुरुष के भेदभाव के बिना तथा आर्थिक, शैक्षिक या व्यावसायिक पृष्ठभूमि के स्तर के भेदभाव के बिना, कानून की नजरों में सभी बराबर हों और प्रत्येक व्यक्ति को इतना सक्षम समझा जाए कि वह उस तरीके से, जिसे वह उचित समझे स्वयं पर शासन कर सके तथा अपने निजी कार्य-व्यापार का प्रबंध कर सकें। लोकतंत्र में लोग स्वयं अपने स्वामी माने जाते हैं। लोकतंत्र इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि अनादि काल से मनुष्य सत्ता या सर्वोच्चता के लिए एक-दूसरे के साथ संघर्ष करता रहा है। लोकतंत्र संघर्ष का अपेक्षाकृत सभ्य तरीका प्रस्तुत करता है। यह सशस्त्र संघर्ष के तरीकों के स्थान पर विचार विमर्श तथा समझाने-बुझाने के तरीकों को प्रस्तुत करता है। कारतूसों की पेटी का स्थान मतपेटी ले लेती है। हम एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और विचार-विमर्श करते हैं। हम अपने दृढ निश्चय, विचारों और तर्कों के बल पर एक दूसरे को राजी करने और जीतने की कोशिश करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध आलेख का उद्देश्य भारतीय आम चुनावों में कालेधन के प्रयोग के बारे में अध्ययन करना है तथा चुनावों में कालेधन के प्रयोग के दुष्परिणामों को जानकारी में लाना है। कालेधन की रोकथाम के उपाय सुझाना भी एक प्रमुख पहलु है ।

भारतीय लोकतंत्र का दार्शनिक पक्ष

1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रवक्ता तथा राष्ट्रवादी भारत के प्रतिनिधि के रुप में लंदन जाते हुए गांधी जी ने एक संवाददाता को भारत के भावी संविधान के संबंध में जो बताया वह इस प्रकार था कि "मैं इस प्रकार के संविधान के लिए प्रयास करुंगा, जिससे भारत को सभी प्रकार की दासता और प्रश्रय से मुक्ति मिले और आवश्यक हो तो वह सब करने का अधिकार मिले, जिसे औपनिवेशिक सत्ता व्यवस्था की दृष्टि में पाप समझा जाता था। मैं इस प्रकार के भारत के लिए कार्य करुंगा, जहां निर्धनतम व्यक्ति भी यह अनुभव करें कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। ऐसा भारत जहां उच्च वर्ग की कोई दीवार नहीं होगी। ऐसा भारत जहाँ सभी समुदाय भरपूर भाईचारे के साथ रहेंगे। इस प्रकार के भारत में अस्पृश्यता जैसे अभिशाप या मादक पदार्थों और द्रव्यों के सेवन के लिए कोई स्थान नहीं होगा। महिलाएं भी पुरुषों के समान अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगी। चूंकि हम शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण मार्ग पर चलेंगे, इसलिए न किसी का शोषण करेंगे और न ही अपना शोषण होने देंगे।"

भारत के संविधान की प्रस्तावना व अनेक भागों में यह दर्शन स्पष्ट होता है। भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धान्त पर आधारित समाज में लोकतंत्र और समाज वस्तुतः ऐसे समाज की रचना के साधन होते हैं, जिसमें जनता का जीवन स्तर उन्नत करने के लिए एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण रोका जाता है तथा व्यक्ति को आत्माभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। मानवीय व्यक्तित्व का अपेक्षाकृत पूर्ण और मुक्त विकास लोकतांत्रिक समाजवाद का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस लक्ष्य की सिद्धि में जहाँ एक ओर निर्धनता और आय तथा सम्पत्ति की असमानताएं बाधक हैं। वहाँ दूसरी ओर लोकतंत्र का अभाव भी उतनी ही बड़ी बाधा समझी गई है। आज का भारत अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण कर रहा है और सरकारी नियंत्रण और विनिमयन को कम करता जा रहा है।

भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली में निर्वाचन

देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी क्रान्ति यह थी कि लोक सभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए व्यस्क मताधिकार को अपनाया गया। घोर पिछड़ेपन, घोर दरिद्रता तथा घोर निरक्षरता वाले नव-स्वाधीन राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष हो और जो किसी विधि के अधीन अनिवास, चिन्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य न हो, वोट का अधिकार देना संविधान निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ी आस्था और जनसाधारण में विश्वास का कार्य था। अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। वह संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के वास्ते सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगा। राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निरीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधिकार संविधान के 73 व 74 वें संशोधन के माध्यम से अधिकार प्रदान किए गए।

वर्तमान भारत में कालेधन का दुष्प्रभाव

वर्तमान भारत में सरकार, नागरिक समाज और व्यवस्था का निम्नतम व्यक्ति कालेधन की समस्या से निजात पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कालाधन अर्थव्यवस्था में विचरण करने वाली वह मुद्रा, सम्पत्ति, धन इत्यादि है जो विनियमन और नियंत्रणकारी सत्ता के आकलन में वैधानिक रुप से नहीं है। इस कारण सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण, उनके प्रभावी आकलन और दुष्परिणामों से कमी के उपायों के बारे में निर्णय करने में विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। नागरिक समाज प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह के रुप में कालेधन को नियंत्रण में लाने के लिए प्रदर्शनों, रैलियों, सभाओं व आंदोलनों के माध्यम से आम नागरिकों में

जागरुकता लाकर सरकार को इस संबंध में कठोर उपाय क्रियान्वित करने के लिए दबाव डालने का कार्य करता है। व्यवस्था का निम्नतम व्यक्ति आर्थिक विषमता के सबसे निचले पायदान पर होता है तथा कालेधन के बढ़ते प्रयोग के कारण बढ़ती हुई मांग के कारण बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति उसकी वास्तविक आय को बहुत कम करती चली जाती है।

कालेधन की रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने एक कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नांकित थेः-

1. कालेधन के विरुद्ध वैश्विक लडाई में भागीदारी करना।
2. वैधानिक तंत्र की स्थापना।
3. संशयपूर्ण फंड्स के पर्याप्त नियंत्रण के लिए संस्थाओं की स्थापना।
4. विनियमों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त तंत्र की स्थापना एवं कालेधन की रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही के लिए मानवीय प्रशिक्षण पर पर्याप्त बल देना।

काले धन के संबंध में सरकारी स्तर पर 1985 में अध्ययन किया गया। सरकार ने कालेधन की मात्रात्मक जानकारी अनुमानित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को वर्ष 2011 में एक प्रतिवेदन तैयार करने का आदेश दिया है, यह संस्थाएं हैंः-

1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक फाइनेंस एण्ड इकोनोमी।
2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फाइनेंसियल मैनेजमेंट।
3. नेशनल कॉन्सिल ऑफ़ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च।

इन संस्थाओं ने क्रमशः दिसम्बर 2013, अगस्त 2014 और जुलाई 2014 में अपने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किए। हालांकि प्रधानमंत्री ने 08 नवम्बर 2016 को 500 व 1000 रू के प्रचलित करेंसी नोट अवैध करने की घोषणा की तथा 500 व 2000 रूपये के नये नोट के प्रचलन की घोषणा भी की, परन्तु कालेधन पर अंकुश के रूप में यह घोषणा भी संशयपूर्ण परिणाम वाली ही रही। जून 2019 में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न संस्थाओं के आकलनों में प्रभावी विभेद के कारण कालेधन का सर्वस्वीकार्य आंकड़ा प्राप्त करना मुश्किल है, तथापि सरकार को तीव्र और व्यापक रूप से इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।

भारत में विभिन्न प्रकार के निर्वाचन प्रक्रियाओं में उम्मीदवारों का कालेधन का प्रयोगः- निर्वाचन आयोग व प्राधिकारियों द्वारा चुनाव खर्च की सीमा तय करने के बावजूद ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जो यह संभावित करते हैं कि विनियमन व नियंत्रणकारी संस्थाएँ उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव संबंधी व्यय का पूर्ण आकलन नहीं कर पाते हैं। उम्मीदवारों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में चुनाव में धन के व्यय जिसमें कालेधन की अधिकतम मात्रा होती है, से निम्नानुसार दुष्प्रभाव हो सकते हैः-

1. कालेधन के प्रयोग से उम्मीदवार प्रशासनिक मशीनरी को प्रभावित करने के प्रयास करता है। हॉलाकि इन प्रयासों की सफलता प्रशासन के नैतिक बल और उच्च स्तर के चुनाव प्राधिकारियों की नियंत्रण प्रणाली से अवश्य प्रभावित होती है।
2. उम्मीदवार मतदाताओं को चुनाव जीतने के पश्चात् किये जाने वाले कार्यों के आश्वासन के बजाय कालेधन के माध्यम से अल्पकालिक वित्तीय प्रलोभन दे सकता है।
3. उम्मीदवार कालेधन के प्रभाव से अपने लिए प्रतिबद्ध सहयोगियों की टीम बना सकता है, जो उम्मीदवार के चुनाव अभियान को व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक कंपनी के बाजार अभियान की तरह कार्यान्वित करते है।
4. उम्मीदवार कालेधन के प्रयोग से समाज के संभ्रान्त नहीं समझे जाने वाले व्यक्तियों की सेवाएँ लेकर विरोधी उम्मीदवारों के अभियान को नकारात्मक रुप से प्रभावित करके अपनी जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
5. राजनीतिक पार्टियों से टिकिट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार अत्यधिक मात्रा में धन व्यय करते हैं, परन्तु मीडिया में आने वाली ऐसी बातों का उल्लेख न तो उम्मीदवार न ही पार्टी के वित्तीय प्रलेखों में मिलता है।

निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक प्रयासों के द्वारा चुनावों में कालेधन के प्रयोग को रोकने के लिए कई उपाय अपनाए जाते है, जो समय पर कुशलता की दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर प्राप्त करते है - गाड़ियों की संख्या, मतदाताओं को प्रलोभन इत्यादि पर भी चुनाव आयोग अंकुश लगाता है तथापि व्यावहारिक रुप से छात्रसंघ चुनाव से लेकर सांसदों के चुनाव तक चुनाव खर्च में कालेधन के प्रयोग की संभावना को उम्मीदवार के नैतिक स्वनियंत्रण के बिना समूल रुप से समाप्त करना कठिन प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

कालेधन के बल पर निर्वाचित उम्मीदवार से गांधी के सपनों के भारत की चाही गई तस्वीर की रचना संभव नहीं लगती है। नैतिक रुप से पतित व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करने पर विनम्र, सहनशील और सर्वजनहितकारी हो पाए यह असंभव प्रतीत होता है। अतः निर्वाचन प्रणाली में कालेधन का प्रयोग को तब ही समाप्त किया जा सकता है, जब सरकार व समाज प्रतिबद्ध होकर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के कालेधन को विधायी नियंत्रण की परिधि में लाकर व्यवस्था के प्रत्येक आर्थिक साधन को आर्थिक व नैतिक रुप से निष्कलंक बना दें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कम्पटिशन सक्सेस रिव्यू, फरवरी 2011, पृष्ठ क्रमांक 41*
2. *सुभाष कष्यप, हमारा संविधान" - नेशनल बुक ट्रस्ट, (2007) पृष्ठ 54-55*
3. *रुद्रदत्त, के.पी.एम.सुन्दरम "भारत की अर्थ व्यवस्था" (2007) पृष्ठ क्रमांक 101-103*
4. ***Impact of Black Money in Election Political Activities*** *सुष्मिता समदर, लक्ष्मी भार्गवी शर्मा निलेश सक्का और जगदीश एस छौकर* ***National Election Watch*** *(2014)*
5. *Black Money Infiltrates Indian Elections, Niranjan Sahoo, Global Times, April 21, 2014.*
6. *Cash For Votes: Evidence from India, Anirban Mitra, Shabana Mitra and Arnab Mukherji, School of Economic Discussion Papers. No. 1711, University of Kent, School of Economics, Cantebury, England.*